किशोरों के जीवन में संवैधानिक साक्षरता

नवेंदु मिश्र, गौरव जायसवाल और शिरीष कुमार

शिक्षालय

सरकार ने पंचायती राज कानून तो लागू किया, पर गाँधी जी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की ख़ातिर कुछ ख़ास काम नहीं किया। गाँधी जी ने ग्रामसभा से लोकसभा तक के लोकतांत्रिक ढाँचे की कल्पना की थी और कहा था कि 'आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए, हर एक गाँव में लोगों की हुकूमत या पंचायत राज होगा। उनके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गाँव को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी ताकि वे अपना कारोबार खुद चला सकें। सच्चे प्रजातंत्र में नीचे से नीचे और ऊँचे से ऊँचे आदमी को समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे दस-बीस आदमी नहीं चला सकते, वह तो नीचे से हरेक गाँव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। इस दृष्टि से बापू ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कई बार यह बात कही थी कि ''भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गाँवों में बसा हुआ है।'' हालाँकि, आज़ादी के बाद कानून और व्यवस्थाएं बहुत बनी, परन्तु उनके अंतिम व्यक्ति तक समझ के साथ पहुँचाने का कार्य बहुत ही कछप गति से हुआ। जिसका परिणाम कागजों पर मज़बूत दिखता पंचायती राज और लोकतंत्र ज़मीन पर पहुँचाते-पहुँचाते बहुत ही कमजोर हो जाता है। मज़बूत लोकतंत्र की नींव मजबूत नागरिक हैं जो भारत की व्यवस्था में सत्ता नहीं कर पाई या कहें कि करने का प्रयास भी सच्चा नहीं रहा। मज़बूत नागरिक कैसे मजबूत पंचायत की नींव रख सकता है इसका एक अनुभव हमें अग्रणी[1] की यात्रा के दौरान प्राप्त हुआ और ये बात भी समझ आई कि क्यों गाँधी जी सत्ता का केंद्र गाँव में देखना चाहते थे, दस या बीस लोगों के हाथों में नहीं। चलिए चलते हैं इस यात्रा पर...

अग्रणी द्वारा पिछले लगभग 9 वर्षों से धीरे-धीरे अपने कार्यों के माध्यम से संस्थागत एवं समुदाय की संवैधानिक साक्षरता को बढ़ाने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। अग्रणी ने इन वर्षों (2012 से 2015) के दौरान अपने शिक्षालय प्रकल्प (यह एक ज्ञान संसाधन केंद्र के नाम से स्थानीय पंचायत के भवन में युवाओं द्वारा संचालित केंद्र रहा है, जहाँ युवा अपने सहपाठियों के साथ मिलकर एक-दूसरे के परस्पर सहयोग से

1. अग्रणी समाज कल्याण समिति 2009 से मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रित होकर काम कर रही है। संस्था द्वारा पिछले 10 वर्षों में अनेक कार्यक्रम एवं नवाचारी प्रयोग किये गए, जिनमें आंगनवाड़ियों में गुणवत्ता युक्त शाला पूर्व शिक्षा, शिक्षालय ज्ञान संसाधन केंद्र आदि प्रमुख है। अग्रणी द्वारा सिवनी जिले के आदिवासी विकास खंड कुरई में एक सामुदायिक विद्यालय की भी स्थापना की गयी है जो अपने आप में एक मॉडल की तरह तैयार किया जा रहा है।

संचालन करते हैं। अग्रणी द्वारा आवश्यकता अनुरूप इनकी मदद विभिन्न विषयों में कार्यशालाओं के माध्यम से किशोर एवं किशोरियों के साथ स्थानीय प्रशासन की समझ बढ़ने एवं एक नागरिक के रूप में ग्राम सभा एवं पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी कर इन व्यवस्थाओं को मज़बूत करने की विधियों की जानकारी प्रदान की गई। इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जब उनसे बात के दौरान पाया गया कि उन्हें स्थानीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय कर्मचारियों के विषय में कितनी जानकारी है? देखा गया कि हमारे केंद्र से जुड़े लगभग 1000 किशोर-किशोरियों में से केवल 10 प्रतिशत को पंचायत के बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी है, तथा 5 प्रतिशत को ही सरपंच, सचिव और पंचों के विषय में जानकारी थी। इसके अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनपद और जिला पंचायत के विषय में केवल 2 प्रतिशत को ही जानकारी थी। पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के विषय में उन्हें किसी अन्य प्रकार की समझ थी ही नहीं। इसमें विचारणीय तथ्य ये थे कि इनमें से केवल 2 प्रतिशत को ही विधायक एवं सांसद के विषय में जानकारी थी। ये सारे विद्यार्थी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के थे, जो आने वाले 2 से 3 वर्षों में मतदान करने वाले थे। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि एक नागरिक के तौर पर ये अपने प्रतिनिधि का चयन किस प्रकार करेंगे जबकि उन्हें उनके कार्यों की जानकारी भी नहीं थी। अतः इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय निकाय के संस्थागत ढाँचे पर समझ तैयार की गई। इसके अगले चरण में हमारे द्वारा उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई। राज्य और देश के संवैधानिक निकायों के विषय में चर्चा कर हमारे प्रतिनिधियों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस विषय में सबसे अधिक रोचक तथ्य तब सामने आया जब उन किशोरों को 'मनरेगा' की जानकारी मिली और उसमें भी मोनिट्रिंग एवं नागरिक की भागीदारी के माध्यम के बारे में पता चला। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया को गहनता से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जिन युवाओं ने भागीदारी की वे स्वयं में तो नागरिक के तौर पर सक्षम हुए ही इसके अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई।

> किशोरों के साथ संवैधानिक समझ बढ़ाने पर काम कितने बदलावकारी परिणाम दे सकता है इसका एक उदाहरण इस घटना में देखने को मिलता है। अग्रणी द्वारा संचालित शिक्षालय केंद्र जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी विकासखंड कुरई में स्थित है। इस केंद्र में संचालित किशोरों की एक सामान्य कक्षा में जब MNREGA पर चर्चा हुई और यह बात सामने आई कि किस तरह MNREGA के MIS सिस्टम का प्रयोग करके सभी कार्यों का लेखा-जोखा देखा जा सकता है। तब किशोरों द्वारा अपनी ग्राम पंचायत द्वारा किये गए कार्यों का विवरण देखा गया, इस अवलोकन में प्रथम दृष्टया ही कई ग़लतियाँ सामने आई, जिनमें सबसे प्रमुख थी फर्जी नामों पर मजदूरी के भुगतान की।
>
> इस बात को किशोरों द्वारा गाँव के वरिष्ठ लोगों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं तक पहुँचाया गया एवं ग्रामीण स्तर पर एक आंदोलन शुरू हुआ जिसकी प्रमुख माँग सामाजिक अंकेक्षण की थी। यह आंदोलन बढ़ा और बाद में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के हस्तक्षेप के बाद पूरे कुरई ब्लॉक की 62 पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण का आदेश दिया गया। इस प्रक्रिया में 62 पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण एवं एक जन सुनवाई हुई, जिसका फायदा लगभग एक लाख मज़दूरों को हुआ। किशोरों के साथ संवैधानिक मूल्यों एवं नागरिकता पर काम करने के सकारात्मक परिणामों का ये एक रोचक उदाहरण है।

जुलाई, 2014 में एक कार्यशाला में मनरेगा के विषय में जब शिक्षालय के किशोर-किशोरियों को यह ज्ञात हुआ कि इसकी ऑनलाइन मोनिट्रिंग के लिए MIS सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने ग्राम या अन्य ग्राम से जुड़ी जानकारी देख सकता है - जैसे कितने काम एक वित्तीय वर्ष में हुए, उसमें कितनी संख्या में मज़दूर एवं सामानों का उपयोग हुआ, कितना खर्च किया गया, मज़दूरों के नाम और कितने दिन काम किया गया, आदि। कुछ उपस्थित किशोर-किशोरियों ने ग्राम पंचायत दरासी कलाँ की जानकारी अपने मोबाइल पर देखी और यह देखने

के बाद उनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई, इस बात के चलते उन्होंने गाँव में स्थित तालाब के गहरा करने के कार्य से संबंधित दस्तावेज़ों का प्रिंट निकलवाया। अच्छे से परीक्षण किये जाने पर पाया कि मनरेगा के अंतर्गत किये गए तालाब गहरीकरण और अन्य कार्यों में जिनके नाम मज़दूरों के रूप में दर्ज़ हैं उनमें से कुछ गाँव छोड़कर अन्य शहरों में काम करने गए हैं अथवा कुछ अब जीवित ही नहीं हैं। साथ ही गाँव के ही एक पूर्व जनपद पंचायत सदस्य जिनके हाथ और शरीर एक दुर्घटना में जल गए थे उनका नाम भी मज़दूरों की सूची में पाया गया। यह देखकर किशोरों और युवाओं में काफी रोष पैदा हुआ और उनके द्वारा ग्राम पंचायत में इसकी शिकायत की गई। अपने अभिभावकों के समक्ष यह बात रखकर उन्हें भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि अभिभावकों और अन्य युवाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई और स्थानीय सरपंच व सचिव से इसकी शिकायत कर कार्यवाही की माँग की गई, जिसे पंचायत द्वारा अनसुना कर दिया गया। इस घटना से आक्रोशित गाँव के निवासियों द्वारा स्थानीय जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य व अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ आदि से मुलाकात कर इस विषय में शिकायत की, जिसका परिणाम भी असफल ही रहा।

इसके बाद गाँव के निवासियों और अग्रणी के साथियों ने साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया, जिसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि पहले ग्रामवासी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन पर बैठेंगे और अग्रणी के वॉलंटियर्स मिलकर मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को और व्यापक स्तर तक लेकर जाएंगे। इसके तहत ग्राम पंचायत दरासी के भ्रष्टाचार के सामाजिक अंकेक्षण की माँग एवं पूर्व जनपद सदस्य जिनके हाथ काम नहीं कर सकते थे, उनकी कहानी को सिवनी, जबलपुर और राजधानी के हिंदी-अंग्रेजी अखबारों तक पहुँचाई गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि दो दिन के अनशन में सारा प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जिला कलेक्टर ने सबडिविजनल मजिस्ट्रेट, सिवनी की उपस्थिति में मनरेगा के प्रावधान के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की प्रक्रिया कराये जाने का आदेश पारित किया गया।

यह आदेश मजबूरी का था। सोशल ऑडिट पूरी दबंगाई भरा नज़र आया, जहाँ SDM साहिबा के बगल में कुरई थाना के थानेदार कुर्सी लगाकर बैठे और नीचे बैठी जनता। थानेदार अपनी दबंग आवाज़ में सवाल करते और सहमी-सी जनता जो कह पाती कहा और कुछ अनकहा ही रह गया। जो तथ्य सोशल ऑडिट में सामने आये उसमें करीब चार लाख से अधिक के भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर आई, साथ में झूठी मज़दूरी, अधूरे काम आदि के तथ्य भी सामने आए। इस पर झटपट जिला पंचायत सीईओ द्वारा सरपंच और सचिव का एक दिन का मानदेय काटने की कार्यवाही कर दी गई जो सिर्फ दिखाने के लिए थी। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद ग्रामवासियों में बड़ा रोष था, इतनी मेहनत के बाद कार्यवाही के नाम पर सिर्फ दिखावा। पुनः ग्रामवासियों और अग्रणी की टीम द्वारा निर्णय लिया गया कि अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएंगे। इसी कड़ी में एक ईमेल इस पूरी कहानी और तथ्यों के साथ-साथ अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों, संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लिखा गया। उनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इस मुद्दे को उनके द्वारा पूर्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के केन्द्रीय मंत्री रहे जयराम रमेश तक पहुँचाया गया। उन्होंने इस मुद्दे को ग्रामीण विकास मंत्रालय तक पहुँचाया, तब त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य सचिव द्वारा पूरे कुरई ब्लॉक का सोशल ऑडिट करने का निर्देश जारी किया गया। जिसके लिए अग्रणी से जुड़े शिक्षालय के एवं अन्य युवाओं ने VSA की भूमिका निभाई। लगभग 62 युवाओं की टीम द्वारा 62 पंचायतों का सोशल ऑडिट किया, जिसमें बहुत सारी जगहों पर भ्रष्टाचार के मामले, मज़दूरी भुगतान से जुड़े मामले, शौचालयों से जुड़े मामले, खेल मैदान, स्कूल मैदान, सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल, ग्राम सभाग्रह आदि से संबंधित मामले निकल कर आए।

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के बाद, अंत में जन सुनवाई होनी थी, कार्यवाही के डर से सरपंच व सचिव द्वारा त्वरित रूप से साल भर से रुकी मज़दूरी, शौचालय का सामान, खेल मैदान आदि कार्यों को रातों-रात पूरा करा दिया गया। अंत में जन सुनवाई में अनेकों पंचायतों में करोड़ों रुपयों के घोटालों की बात उजागर हुई, अनेक सरपंच व सचिवों पर कार्यवाही हुई। एक बड़ा बदलाव लगभग 1 लाख 70 हजार की आबादी वाले आदिवासी बाहुल्य कुरई ब्लॉक के ग्राम वासियों ने पहली बार अनुभव किया कि सत्ता में उनकी भी भागीदारी है। उन्होंने समझा कि कई प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ों को उन्हें देखने और इनकी निगरानी रखने का अधिकार प्राप्त है। जब वे मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो बदलाव आता है। साथ ही निरंकुश होती ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार जनता की लगाम लगी। युवाओं ने पहली बार लोकतंत्र में जनता की ताकत का स्वाद चखा और देखा भी। इन प्रक्रियाओं में भागीदारी की भावना का विकास हुआ परन्तु यह यात्रा एक दिन की नहीं अपितु निरंतर चलने वाली है, हर दिन नागरिक का संघर्ष सत्ता के साथ होता रहेगा, जहाँ उसे अपनी ताकत ऊर्जा बनाये रखनी है जिसमें जानकारी और शिक्षा उसका आत्मबल है। स्वराज का रास्ता सक्षम नागरिक ही बना सकता है, सच्चे आत्मबल के साथ, बिना स्वराज लोकतंत्र बेमानी है।

महात्मा गाँधी का सपना था शोषण विहीन समाज की स्थापना, जहाँ शिक्षा का स्वरुप ऐसा हो कि व्यक्ति समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति को अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से जी भी पाए और आत्मसात कर पाए। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में चरख़ा चलाकर सूत कातना सीखता है तो आवश्यक है कि उसे खेत में उत्पादित होने वाले कपास के किसान की मेहनत और पीड़ा का अंदाज़ा हो, वहीं वो जाने कि उसके द्वारा काता गया सूत किस प्रकार उससे सस्ते दामों में खरीदकर मेनचेस्टर में बनने वाले महँगे कपड़ों के रूप में उसी के बाज़ार में लाकर बेचा जाता है, वह यह भी जान सके कि इस प्रकार से कंपनी द्वारा जो पैसा अर्जित किया जाता है उसका उपयोग उसके ही शोषण और शासन चलाने में किया जाता है जो इसकी राजनीति है। बस इसी अनुभवात्मक शिक्षा को आधार बनाकर अग्रणी ने अपने शिक्षा के केंद्र की स्थापना की जिसे नाम दिया अग्रणी पब्लिक स्कूल।

स्कूल व्यवस्था और संवैधानिक मूल्य

वर्ष 2013 के नवम्बर माह में अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अग्रणी समूह के रूप में हमें महसूस हुआ कि शिक्षा में हमारे किये हुए नवाचारों और आगामी समय में किये जाने वाले नवाचारों के लिए एक स्वस्वामित्व वाले स्थान की आवश्यकता है। अग्रणी पब्लिक स्कूल की इस प्रयोगशाला के साथ संसाधन केंद्र का सपना लिए हमने इसकी नींव रखी। इस प्रकल्प की शुरुआत से ही हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था इस संस्थान के मूल्य? जब बात मूल्यों की आती है तो सामान्यता एक स्कूल के मूल्य जो होते हैं वही होने चाहिए। परन्तु प्रश्न था क्या वर्तमान स्कूलों के मूल्यों के साथ शिक्षा के असल उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है? अंततः शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जवाब है एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, परन्तु मानवीय मूल्य शाब्दिक तौर पर और संदर्भ लेने हेतु कहीं लिखित भी हों, व्यक्ति कैसा हो और किस समाज की बात? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें मिला संविधान से जहाँ स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी मूल्यों की बात हो रही हैं। हमने पुनः अपनी सीखों और अनुभवों के आधार को टटोला तो पाया कि वर्तमान मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में वे मूल्य जो एक सक्षम नागरिक का निर्माण कर सके वो अनुपस्थित थे।

अगला प्रश्न था कि इन मूल्यों को एक संस्थान के रूप में स्थापित कैसे किया जाए? उत्तर पुनः मिला हमारी व्यवस्था से जहाँ सभी को समाहित कर एक व्यवस्था का निर्माण हो।

समुदाय की भागीदारी : अग्रणी शुरुआत से ही समुदाय की पारस्परिक भागीदारी पर यकीन करता चला आया है। इस भागीदारी को एक शिक्षा संस्थान में लाने हेतु हमने शुरुआत से ही इसकी अवधारणा बनाते समय समुदाय से संवाद

प्रारंभ किया। समुदाय की शिक्षा और व्यवस्था के बारे में अपनी एक सोच है और किसी भी नवाचार की समुदाय में स्वीकार्यता बिना संवाद और उसकी समझ को उस तक पहुँचाये बगैर संभव नहीं है। इसके साथ शिक्षा केवल संस्थानों तक सीमित नहीं है, समुदाय स्वयं अपने अनुभवों और विचारों से निरंतर शिक्षा में योगदान कर रहा होता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के प्रयोगों में समुदाय का पारस्परिक योगदान हो।

अभिभावकों की भागीदारी : कार्यक्षेत्र के समुदाय में सभी पालकों का समावेश तो हो ही जाता है। परन्तु समुदाय और अभिभावकों के मध्य कुछ अंतर अवश्य होता, वह कभी गंभीरता के रूप में होता है तो कभी चिंता के रूप में, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उनके अपने बच्चों पर होता है। इसीलिए अग्रणी पब्लिक स्कूल की शुरुआत से ही हमने प्रयास किया कि प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े हर फैसले में अभिभावकों का भी योगदान हो। शिक्षा के नवाचारों और मूल्यों पर कार्य को सफल बनाने में किशोरों के संदर्भ में अभिभावक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका उदाहरण समझने के लिए हम आज़ादी के मूल्य को लेते हैं : यदि हम किशोरों में आज़ादी के मूल्य को स्थापित करते हैं लेकिन घर में अभिभावक इस मूल्य के विपरीत हैं तो इस स्थिति में बच्चों के साथ किया गया कार्य एक मूल्य के रूप में स्थापित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका दूसरा पहलु यह भी है कि किशोर शाला के आलावा बहुत समय अपने घर एवं समाज के साथ गुजारते हैं और सबसे अधिक मूल्यों की शिक्षा उन्हें इनके माध्यम से ही प्राप्त होती है। अतः यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि उन्हें कम से कम ये मूल्य ज़ीने हेतु अपने घर में उपयुक्त सहयोग उपलब्ध हो पाए। साथ ही संस्थान के साथ संबंध को पारदर्शी और मजबूत बनाने हेतु आर्थिक निर्णयों के लिए एक अभिभावक समिति का निर्माण भी किया, जिसका कार्य संस्था के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक निर्णय लेना है और प्रबंधन को दिशा देना है।

शिक्षकों की भागीदारी : शिक्षक असल में किशोरों के जीवन के शुरुआती दौर में बहुत ही अहम् भूमिका निभाते हैं। शिक्षक एक किशोर के लिए आदर्श के रूप में होता है। बहुत बार किशोर अपने शिक्षक के आचरण के अनुरूप आचरण करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम आयु की अवस्था में किशोर हमेशा शिक्षक की हर बात का अनुसरण करते हैं। अतः ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन मूल्यों को हम किशोरों में देखना चाहते हैं वे मूल्य शिक्षक अवश्य जियें, जिसके लिए आवश्यक है कि संस्थान के मूल्य भी वही हों जो शिक्षक जियें अर्थात सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं, इन सबको समझाते हुए हमारे द्वारा अग्रणी पब्लिक स्कूल के ढाँचे में शिक्षकों की भागीदारी सभी निर्णयों में जिनमें आर्थिक, सामाजिक एवं भविष्य की योजनाओं और विद्यार्थी हित के समस्त फ़ैसलें शामिल हैं। संस्थान की नीति और दिशा के निर्धारण में भी शिक्षकों की अहम् भूमिका होती है।

किशोरों की भागीदारी : इस पूरे प्रयास में सबसे अहम् हैं किशोरों के लिए उस जगह का निर्माण कर पाना जहाँ किशोर स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुता जैसे मूल्यों को अनुभव कर पाएं। जब कभी हम मूल्यों की बात करते हैं तो ये मूल्य केवल अनुभवों पर ही आधारित हो सकते हैं; अतः आपको उन विधियों की खोज करनी होगी जिनके द्वारा किशोर इन अनुभवों से गुज़रें। इस अनुभव को निर्मित करने के लिए हमारे द्वारा संस्थान के सिद्धांतों में मूलतः अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम, न्याय, समानता, सहभागिता, वृद्धि, बदलाव आदि मूल्यों का समावेश किया जोकि भारतीय संविधान, मानवीय एवं 5वीं परिधि के मूल्यों से समाहित होकर बने हैं।

सभी की भागीदारी के लिए हमारे द्वारा कुछ नवाचारों का समावेश भी किया गया :

- इनमें प्रथम है हर माह अभिभावकों, छात्र संसद, शिक्षक एवं प्रबंधन की संयुक्त बैठक, जिनमें शाला से जुड़े तात्कालिक एवं दूरगामी निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही इन निर्णयों एवं नवाचारों के संदर्भ में चर्चा कर इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों पर भी चर्चा होती है। संस्थान की आगामी नीतियों में होने वाले नवाचार, शिक्षा

संबंधी बदलाव अथवा नवाचारों के संदर्भ में जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। यह बैठक माह के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती है।

- अगले स्तर पर अभिभावकों के साथ किशोरों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन भी नियमित रूप से किया जाता है। जिनमें हमारा प्रयास किशोर अवस्था की चुनौतियों और अनुभवों से अभिभावकों को परिचित कराना होता है। अभिभावक सामान्यतः इनसे परिचित होते ही हैं परन्तु सामाजिक रूप से व्याप्त रूढ़ियों के चलते वे इन पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते। उन विषयों को समय-समय पर चर्चा का विषय बनाने से वे सामान्य जीवन में बहुत-सी उन बातों का ध्यान रख पाते हैं जो किशोरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- आर्थिक सलाहकार समिति का निर्माण संस्थान को आर्थिक रूप से संवहनीय बनाये रखने के लिए किया गया है। पारदर्शिता एवं सहभागिता को बनाये रखने के लिए अभिभावकों के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर इस समिति का निर्माण किया गया है।

- विद्यार्थी कैबिनेट अपने-आप में एक नवाचार इस मायने में है कि जहाँ RTE एक्ट आने के बाद से ही हर विद्यालय में छात्र संसद का निर्माण आवश्यक है जो अपने निर्वाचित सदस्यों के साथ संस्थान के प्रबंधन में आवश्यक भूमिका निभाएगी। इसको और मज़बूत करते हुए हमारे द्वारा संस्थान में इस कबिनेट को और अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनमें प्रति सोमवार बैठक के साथ निर्णयों में सहभागिता, मासिक बैठकों के माध्यम से, हर विभाग की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु संसदीय सचिव की नियुक्ति (एक शिक्षक इस पद भार को संभालते हैं) कैबिनेट द्वारा लिए निर्णयों को आवश्यक रूप से संस्थान के नियमों के आधार पर परख़ कर क्रियान्वित करवाना शामिल है। यह प्रक्रिया हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढाँचे को बेहतर तरीक़े से समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पिछले लगभग 4 वर्षों के अनुभव में हमने यह पाया है कि किशोर विकास में संस्था, परिवार एवं समाज के मूल्य व विचारधारा बहुत अधिक प्रभाव डालती है। यदि हम मूल्यों से युक्त शिक्षा किशोरों तक ले जाना चाहते हैं तो हमें सभी समूहों के साथ समान्तर कार्य करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही संस्थानों का दायित्व है कि वे अपने कार्यों में स्वयं, समाज, परिवार और संवैधानिक मूल्यों का समावेश करें।

किशोर छात्रों के साथ संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं की समझ पर काम करते-करते कई रोचक अनुभव सामने आते हैं। इन्हीं में से एक हुआ जब कक्षा 8वीं की एक इतिहास की कक्षा में NCERT की किताब में जहाँ - अध्याय 4 में बिरसा मुंडा का जिक्र आया है - इस किताब में बिरसा मुंडा के संदर्भ में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वह दूसरे ऐतिहासिक पात्रों के विषय में इस्तेमाल की गई भाषा से अलग है एवं कम सम्मानीय दिखाई पड़ती है, उदाहरण के तौर पर जहाँ औरंगजेब का जिक्र है वहाँ लिखा गया है ''मुगल बादशाहों में औरंगजेब आख़िरी शक्तिशाली मुग़ल बादशाह थे'' वहीं बिरसा मुंडा के विषय में जहाँ जिक्र है वहाँ लिखा है कि ''बिरसा नाम का आदिवासी घूमता देखा गया''।

इस विषय में जब कक्षा में चर्चा हुई तब मामले को छात्र संसद में चर्चा के लिए ले जाने की बात आई। छात्र संसद में इस विषय पर चर्चा हुई और आदिवासी, गैर आदिवासी सभी संसद सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए इस विषय पर NCERT को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया, सभी ने मिल कर पत्र लिखा। सभी के हस्ताक्षर हुए। उस पत्र को NCERT के पास भेजा गया और भाषा सुधारने की अपील की गई। छात्रों के थोड़े इंतजार के बाद NCERT से एक पत्र वापस आया और उन्होंने यह माना कि छात्रों के द्वारा बोली जा रही बात सही है और वे आगामी वर्ष

के पुस्तक प्रकाशन में इस विषय को ध्यान में रखते हुए सुधार कर पुस्तक प्रकाशित करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया पर छात्रों की खुशी और आत्मविश्वास को शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है।

यह पूरी घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार संवैधानिक प्रक्रियाओं का शिक्षा में अनुभवात्मक प्रयोग छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोगी होता है। ◆

नवेंदु मिश्रा : शिक्षा में बी.ए. एल.एल.बी. किया है। इनकी सामाजिक मुद्दों और संविधान को लेकर काम करने में विशेष रुचि रहती है। स्कूल टीचर्स के साथ वे भारतीय संविधान पर काफी काम करते हैं। अग्रणी संस्था के सह-संस्थापक भी हैं। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में फैलो रहे हैं साथ ही बहुत से लीडरशिप कार्यक्रमों में इनकी अग्रणी भूमिका रही है।

संपर्क : 9407054284; navendum12@gmail.com

गौरव जायसवाल : सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शिक्षा से इंजीनियर हैं, शुरू में कुछ वर्ष कॉर्पोरेट में जॉब किया पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि थी तो जॉब छोड़ कर फिर अग्रणी संस्था की शुरुआत की। बहुत-सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप में फैलो रहे। इसके साथ ही शिक्षा कैसे चुनावी मुद्दा बने और शिक्षा में सुधार हो इसके लिए 'शिक्षा सत्याग्रह' के नाम से एक मूवमेंट भी चला रहे हैं।

संपर्क : 9826835066; gourav1009@gmail.com; https://www.facebook.com/agrini.org/

शिरीष कुमार : सोशल वर्क में मास्टर्स की उपाधि, सोशल वर्क में अनुभव के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं में वॉलंटियर किया। शिरीष अग्रणी संस्था के सीईओ। विशेष रूप से संविधान और लाइफ स्किल को लेकर बच्चों के साथ काम करते हैं, साथ ही डिग्निटी फैलो हैं जिसमें विभिन्न माध्यमों से 'संवैधानिक मूल्यों' को बढ़ाने के लिए समुदाय में काम कर रहे हैं।

संपर्क : 8878323255; shirishchouriya@gmail.com